



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229689
CG-DL-E-16092021-229689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943

No. 519]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

नियम

सा.का.नि. 633(अ). — निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) हेतु चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 एवं 2017 के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग III

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IX

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उम्मीदवारों का अंतिम चयन विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 31288/2017 में लंबित मुकदमे के परिणाम के आधार पर तय किया जाएगा और परिणाम घोषित किया जाएगा। श्रेणी III के संबंध में, रेल मंत्रालय ने दिनांक 04.06.2021 को एक अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी, जिसके अंतर्गत रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) ग्रेड की वर्ष 1985 से वर्ष 2011 तक की वरिष्ठता सूची में संशोधन किए गए हैं।

इस वरिष्ठता सूची को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) ग्रेड की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक, श्रेणी III के संबंध में परिणाम रोक दिए जाएंगे और अंतिम तौर पर उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण, रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दी गई संगत वर्षों की वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. नीचे कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो पात्रता की निर्णायक तिथि (जैसाकि नीचे उल्लिखित है) को कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता, आदि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कॉलम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि

1 जुलाई, 2016 2016 की परीक्षा के लिए

1 जुलाई, 2017 2017 की परीक्षा के लिए

नोट:

1. 2016 की परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार, 2017 की परीक्षा के लिए भी पात्र हैं, बशर्ते उम्मीदवार पात्रता की अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता हो तथा उम्मीदवार ने इस प्रकार चुने जाने के लिए विशिष्ट तौर पर विकल्प दिया हो।

कॉलम 1

कॉलम 2

कॉलम 3

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड 'ग')

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष हो।

वर्ग I

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' सामान्य संवर्ग का सहायक ग्रेड, आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड और साईफर उप संवर्ग का सहायक साईफर ग्रेड	सामान्य संवर्ग के सहायक ग्रेड/ साईफर संवर्ग के सहायक साईफर ग्रेड/ आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। उम्मीदवार के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	वर्ग II
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'।	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग III
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो।	वर्ग IV
भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड	आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित सेवा 5 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	वर्ग V
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VI
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो का आशुलिपिक सेवा ग्रेड -II	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अथवा एलडीसीई आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, ग्रेडों में नियुक्त अधिकारियों के मामले में आसूचना ब्यूरो में स्थायी या नियमित नियुक्त अस्थायी सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-II (वैयक्तिक सहायक) जिनकी अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो बशर्ते उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी एलडीसीई परीक्षा परीक्षा का आयोजन हुआ हो की 1 जुलाई से 5 वर्ष पूर्व न हुआ हो अथवा उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी ग्रेड एलडीसीई आयोजित हुआ हो की 1 जुलाई को अपने संबद्ध फीडर ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के मामले में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हों, परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।	वर्ग VIII
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	वर्ग IX

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार (वर्ग I, वर्ग II, वर्ग IV, वर्ग V में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार को छोड़कर) उपरोक्त कॉलम 1 में

उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त किया गया है, ऐसी परीक्षा की निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख तक कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

बशर्ते कि परीक्षा की श्रेणी-IV और श्रेणी-IX के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाला यदि कोई उम्मीदवार, किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड में नियुक्त हो जाता है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख की स्थिति के अनुसार, कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा निरंतर सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1. ऊपर के कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा, कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

तथापि यह कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्त किया गया हो और जो कॉलम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) नहीं रखते हैं।

टिप्पणी 2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे वर्ग-II और वर्ग-IV के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे वर्ग-II और वर्ग-V के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. जो उम्मीदवार दोनों वर्गों के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र है तथा वह इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तब उसे अपने आवेदन में उस वर्ग के वरीयताक्रम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वह पात्र है और विचार किए जाने का इच्छुक है। आयोग, आवेदक द्वारा पहले से प्रस्तुत वरीयता में किसी प्रकार का परिवर्तन/जोड़/बदलाव करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवार वर्ग संख्या का चयन सावधानी से करें क्योंकि संशोधन/गलत संयोजन पर विचार नहीं किया जाएगा/अनुमति नहीं होगी और उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। यह भी नोट करें कि किसी भी उम्मीदवार का चयन किसी भी ऐसी श्रेणी के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से विकल्प नहीं चुना है।

5. किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामशः

(क) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ख) दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) प्रतिरूप धारण, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(vi) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा

(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामशः

(क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

- (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;
- (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; या
- (viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा
- (ix) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा
- (x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा
- (xi) परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा
- (xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा
- (xiii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा
- (xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, जैसा भी मामला हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे :
- (क) आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा
- (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए
- (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।
- (ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक:
- (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

7(1) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. (i) परीक्षा के बाद, उम्मीदवारों की पात्रता के अध्यधीन, दो वर्ष यथा, 2016 एवं 2017 के लिए रिक्तियों पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे किसी या सभी वर्ष हेतु पात्र हों, और प्रत्येक उम्मीदवार को प्रदान किए गए कुल अंतिम अंकों के अनुसार आयोग द्वारा उम्मीदवारों का योग्यताक्रम तैयार किया जाएगा। यह योग्यताक्रम आयोग द्वारा परीक्षा के प्रत्येक पेपर/भाग के लिए निर्धारित अर्हता मानकों के अध्यधीन होगा। तथापि, परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि किसी भी वर्ष (यथा 2016 और 2017) की रिक्ति खाली रह जाए तो उसे अगले रिक्ति वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा।

संबंधित चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए वर्षवार और श्रेणीवार योग्यताक्रम (मेरिट) की सूचियां, रिक्तियों का योग्यताक्रम (मेरिट) संख्या, उम्मीदवार की मेरिट तथा उम्मीदवार द्वारा दर्शाये गए विकल्प (पात्रता के अनुसार, वर्ष और वर्ग की वरीयता) तथा अन्य सभी पात्रता की शर्तों के पूर्ण करने के आधार पर होगी। आयोग के पास परीक्षा के किसी या सभी स्तर (स्तरों) या पेपर (पेपरों) के लिए न्यूनतम अर्हक मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार है।

जहां उम्मीदवार कुल योग्यताक्रम (मेरिट)/अंकों के आधार पर एक से अधिक वर्ग तथा/ या विचार वर्ष (कंसीड्रेशन) में अन्यथा पात्र हों, विशिष्ट चयन सूची में उन्हें शामिल किया जाना उपयुक्त समय पर उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उपलब्ध वर्ग-वर्ष पर निर्भर करेगा। अतः, उसके योग्यताक्रम के आधार पर, तथा रिक्ति तथा पात्रता की अन्य शर्तों के अध्यधीन उम्मीदवार की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उसे उपयुक्त चयन सूची (वर्ग और वर्ष) में रखा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का नाम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए, विशिष्ट वर्ष हेतु चयन सूची में शामिल किया जाता है, तो अन्य सूची (सूचियों) में शामिल करते हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण किसी भी वर्ष (2016 एवं 2017) में वे रिक्तियां जिन्हें भरा नहीं जा सका को वर्ग I, III, IV, VII, VIII तथा IX के लिए अगले रिक्ति वर्ष हेतु आगे ले जाया जाएगा। यह प्रावधान वर्ग VI पर लागू नहीं होगा। वर्ग II एवं V की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के मामले में उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण किसी भी वर्ष (2016 एवं 2017) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित वे रिक्तियां जिन्हें भरा नहीं जा सका हो, को अगली परीक्षा के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(ii) प्रत्येक वर्ग हेतु चयन सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों का अंतिम चयन, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 तथा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 31288/2017 में लंबित मामले में आए फैसले के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर पर किया जाएगा।

नोट:- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अतः कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा। आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है।

बशर्ते आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/आसूचना ब्यूरो/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-ग/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/आसूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा ग्रेड -III/ सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) नहीं है तो वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

[फा. सं. 6/1/2020-सीएस.। (पी)]

दीप्ति उमाशंकर, अपर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी :-

भाग I

- (क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।
 (ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा।

टिप्पणी I – वर्ग IV, V, VI, VII और IX हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अर्हक आशुलिपि परीक्षा देना होगा। तथापि, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के साथ-साथ आशुलिपिक परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी II – उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मुहैया कराए गए कम्प्यूटरों (पीसी) पर अपनी आशुलिपि टिप्पणियों का लिप्यंतरण करना होगा।

भाग II

उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अधिकतम अंक 100 होंगे:-

- (i) जिन्होंने लिखित परीक्षा में, आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग I, II, III और VIII श्रेणियों के लिए) और
 (ii) जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग IV, V, VI, VII और IX श्रेणियों के लिए)।

टिप्पणी I: सेवा अभिलेख (यथा बैठक के दौरान मूल्यांकन बोर्ड को प्राप्त हुई अधिकारियों की एपीएआर) के मूल्यांकन में अर्जित अंकों की गणना रैंक निर्धारण हेतु की जाएगी। मूल्यांकन बोर्ड द्वारा एपीएआर का एक बार मूल्यांकन कर लिए जाने के उपरान्त, एपीएआर ग्रेडिंग आदि में बाद की तिथि में कोई परिवर्तन सहित किसी भी परिस्थिति में इसके पुनः मूल्यांकन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम पर रैंक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:-

पेपर संख्या	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य अध्ययन और भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद की परिपाटी और कार्य की सामान्य जानकारी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
2.	भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और परिपाटी तथा सेवाओं की संगत श्रेणियों की आवश्यकता को विधिवत ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियम	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
3.	टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन	विस्तृत	200	3 घंटे
	सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन		100	

3. गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति (ऋणात्मक अंकन) लगाई जाएगी।

- (i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंको में से एक तिहाई अंको की कटौती की जाएगी।
- (ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों में से एक सही भी हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त शास्ति होगी।
- (iii) यदि किसी प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

4. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होगा।

5. उम्मीदवारों को टिप्पण एवं प्रारूपण और सार लेखन का उत्तर हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। सभी तीनों प्रश्नपत्र / परीक्षा पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में होंगी।

टिप्पणी 1:- टिप्पण एवं प्रारूपण तथा सार लेखन पेपर के उत्तर हिंदी (देवनागरी) में देने के विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को अपनी इस इच्छा का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के संगत कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिंदी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, हिंदी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी कोष्ठक में दे सकते हैं।

टिप्पणी 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में उत्तर लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. अंग्रेजी/हिंदी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसा उम्मीदवारों को 40/55 मिनट में लिप्यंतरण करना होगा।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन पेपरों में सम्मिलित होना आवश्यक है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक अस्पष्ट लिखावट के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के विषयपरक पेपर में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में की गई सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

12. उम्मीदवार को पेपर-III के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची**परीक्षा का पाठ्यक्रम**

जहां नियमों, आदर्शों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

पेपर-I

पेपर में समसामयिक सरोकार और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। प्रश्नों में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की मौजूदा घटनाओं के प्रति बौद्धिक जागरूकता की भी जांच शामिल होगी।

निम्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा की जाती है:

- (i) भारतीय संविधान के सिद्धांत

- (ii) लोक सभा और राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्यवाही के नियम।
- (iii) भारत सरकार के तंत्र का संगठन, मंत्रालयों विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पदनामों और विषयों का आबंटन तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध।
- (iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पेपर-II

इस पेपर का उद्देश्य है भारत के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली का गहन तथा विस्तृत परीक्षण लेना। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली अर्थात् आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान की जांच की जाएगी। संदर्भ पुस्तिकाओं की सूची (तथापि जो संपूर्ण नहीं है) की अनुशंसा की जाती है:

(वर्ग I, IV, VIII और IX के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल वर्ग I और IV के लिए)
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली
9. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
10. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली
11. आसूचना ब्यूरो स्थायी आदेश (केवल वर्ग VIII के लिए)

(वर्ग II और V के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुरूपक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
7. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
8. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली
9. भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियमावली
10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार
11. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना।
12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली

(वर्ग III और VII के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका
2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V, VI, VIII तथा IX को छोड़कर)
4. भारतीय रेल वित्तीय कोड खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)
5. भारतीय रेल स्थापना कोड खंड-I
6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966
7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968

(वर्ग VI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली
9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)

पेपर-III

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारूपण तथा अवतरण से संक्षेपण तैयार करें।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2021

RULES

G.S.R 633(E).— The rules for a Combined **Section Officers’/ Stenographers’** (Grade B’/ Grade-1) Limited Departmental Competitive Examination for the **years 2016 & 2017** to be held by the Union Public Service Commission, for additions in the Select Lists for the **Section Officers’ Grade and Stenographers’** (Grade ‘B’/Grade-I) of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned, published for general information.

Category I

Section Officers’ Grade of the Central Secretariat Service

Category II

Section Officer Grade of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch ‘B’

Category III

Section Officers’ Grade of the Railway Board Secretariat Service

Category IV

Private Secretary Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service

Category V

Private Secretary Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category VI

Grade 'A' & 'B' merged of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

Category VII

Grade 'B' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category VIII

Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau

Category IX

Private Secretary Grade in Employees' State Insurance Corporation

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission. Final Selection of the candidates under different categories shall be decided and results declared based on the outcome of the pending litigation in **SLP (C) No.30621/2011 and SLP (C) No.31288/2017**. In respect of category III, the Ministry of Railways issued a provisional seniority list dated 04.06.2021, revising the seniority list of Assistant Section Officer (ASO) grade of Railway Board Secretariat Service from the year 1985 to 2011. The same is yet to be finalized. Results in respect of Category III will be kept withheld till the seniority list of Assistant Section Officer (ASO) grade is finalized by the Ministry of Railways and the candidates' final eligibility will be decided based on the seniority list of the relevant years finalized by the Ministry of Railways.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary Officers of the Grade and Services mentioned in column 1 below who on the crucial date for eligibility (as mentioned below) satisfy the conditions regarding length of service and educational qualification etc. mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Crucial dates for eligibility

1st July, 2016 for 2016 Examination

1st July, 2017 for 2017 Examination

Note:

1. Candidate(s) eligible for 2016 Examination are also eligible for 2017 Examination subject to fulfillment of all other eligibility conditions and provided candidate specifically opts to be so considered.

Column 1	Column 2	Column 3
Assistant Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service and Personal Assistants' Grade (Stenographers Grade C) of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved Service and shall also have earned at least four Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service or Personal Assistants' grade of the Central Secretariat Stenographers' Service. Personal Assistants of CSSS shall possess a Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent.	Category 1
Assistant Grade of the General Cadre, Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre	Not less than 5 years approved service and shall also have earned at least 4 Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Grade of the General Cadre / Cypher Assistant Grade of the Cypher Cadre / Personal Assistant	Category II

and Cypher Assistant Grade of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'	Grade of the Stenographers' Cadre. Further, candidates should possess a Bachelor's degree from a recognized University and should have completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.	
Assistant Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous Service in the Assistant Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade II / Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	Category III
Personal Assistant of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants' Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service and shall possess a Bachelor's Degree from a recognized University.	Category IV
Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B'	Not less than 5 years approved service in the Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre and shall possess a Bachelor's Degree of a recognized University. Further, candidates should have completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.	Category V
Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service	Not less than 3 years' approved and continuous service in Grade II / Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Category VI
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II / Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Category VII
Assistant Grade of IB / Stenographers' Service Grade II of IB	Permanent or regularly appointed temporary Assistant /Stenographers Grade-II (Personal Assistants) of the Intelligence Bureau with not less than 4 years of approved and continuous service in the case of officers appointed in the grades on the basis of Competitive Examination or Limited Departmental Competitive Examination as the case may be, provided that the examination should have been held not less than five years before the 1 st July of the year in which the Section Officers Limited Departmental Competitive Examination is held, or not less than five years of approved and continuous service, in the case of officers appointed in the grades on the basis of seniority in their respective feeder grades on 1 st July of the year in which Section Officers grade Limited Departmental Competitive Examination is held, will be eligible to appear in the examination.	Category VIII
Personal Assistants in Employees' State Insurance Corporation	Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants Grade in Employees' State Insurance Corporation.	Category IX

Provided that in the case of a candidate (except a candidate appearing for Category I, Category II, Category IV, Category V examination) who had been appointed to the Grades mentioned in column 1 above on the result of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that grade on the crucial date.

Provided that in the case of a candidate appearing for Categories IV and IX examination who had been appointed to the Grade mentioned in column 1 above on the result of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 3 years before the crucial date and he/she should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that grade on the crucial date.

Note 1. Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in column 2.

This however does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre posts or to another Service on “transfer” and do not have a lien in the Grades and Services referred to in Column 1.

Note 2. Assistant Section Officers of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers’ Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch ‘B’ and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

Note 3. Assistant Section Officers of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers’ Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch ‘B’ shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

4. A candidate, who is eligible to compete for two categories and who exercises this option, should specify clearly in the Application the categories for which he/she is eligible and wishes to be considered in the order of preference. No request for any change/addition/ alteration in the preference already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission. Candidates may also take care to choose Category No. correctly, as corrections/ incorrect combination will not be considered/allowed and may lead to summary rejection of the candidature. It may also be noted that a candidate will not be considered for any category that he/she has not specifically chosen in the application form.

5. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

- (i) Obtaining support for his/her candidature by the following means, namely:-
 - a) Offering illegal gratification to; or
 - b) Applying pressure on; or
 - c) Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- (ii) impersonation, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or
- (v) uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature.
- (vi) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vii) resorting to the following means in connection with his/her candidature for the examination, namely:-
 - a) obtaining copy of question paper through improper means;
 - b) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
 - c) influence the examiners; or
- (viii) being in possession of or using unfair means during examination, or
- (ix) writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the script(s), or
- (x) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or

- (xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xii) being in possession of or using any mobile phone, (even in switched off mode) , pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xiii) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiv) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable :-
 - (a) to be disqualified by the Commission from the Examination held under these Rules for which he/she is a candidate, and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period-
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them ;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-
 - (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf ; and
 - (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him/her, into consideration.

7.(1) Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (i) to (xiii) above shall render himself/herself liable to action in terms of the clause (xiv).

8. (i) After the examination, candidates shall be considered for vacancies for two years **i.e. 2016 & 2017** subject to their eligibility for any or all the years and will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate subject to qualifying standards for each paper/part of the examination as decided by the Commission. However, the results shall be declared separately to ensure that if vacancies remain unfilled in any of the year (i.e. 2016 and 2017), the same are carried forward to next vacancy year.

Year wise and category wise merit lists for inclusion in the respective Select List will be based on the number of vacancies, candidate's merit and choice (preference of year and category, as eligible) as indicated by the **candidate** and fulfillment of all other eligibility conditions. The Commission reserves the right to fix minimum qualifying standards for any or all stage(s) or paper(s) of the Examination.

Where a candidate would have otherwise qualified on the basis of aggregate merit/marks in more than one category and/or year of consideration, his/her inclusion in a particular select list will depend on the category- year combination that becomes available based on the candidate's choice exercised at the relevant time. Therefore, based on his/her merit, and subject to vacancy position and other eligibility conditions, a candidate will be placed in the appropriate select list (category and year) factoring his/her preference. If a candidate's name is included in the select list for a particular category for a particular year, his/her name will not be considered for inclusion in other list(s).

Vacancies remaining unfilled in any of the years (2016 & 2017) due to non-availability of suitable/qualified candidates, will be carried forward to the next Vacancy year for Category I, III, IV, VII, VIII and IX. This provision will not be applicable for Category VI. In case of candidates appearing for Category II & V, only vacancies reserved for SC/ST Category candidates remaining unfilled in any of the years (2016, 2017) due to non-availability of selected/qualified candidates will be carried forward to the next examination,

(ii) The final selection of the candidates including candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for inclusion in the Select List for each category will be decided based on the guidelines to be issued by the Department of Personnel & Training as per the outcome of the pending litigation in **SLP (C) No.30621/2011 and SLP (C) No.31288/2017**.

Note: - Candidate should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his/her performance in this Examination as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his/her conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

11. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his/her appointment or otherwise quits the service or severs his/her connection with it or whose services are terminated by his/her Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistant Section Officers' Grades of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service/I.B./ or Stenographer Grade-C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Grade II of I.B. Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service or any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

[F. No.6/1/2020-CS.I (P)]

DEEPTI UMASHANKAR, Addl. Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:-

Part I

(a) Written examination carrying maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

b) A qualifying Shorthand test in Hindi or English at 100 w.p.m.

Note I- All the candidates competing for Categories IV, V, VI, VII and IX will be required to take qualifying shorthand test at the time of the written examination. However, evaluation of record of service will be done of only those candidates who qualify both in the written examination as well as in the Shorthand Test.

Note II. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on Computers (PCs) which will be provided at the Examination centre by the Commission.

Part II

Evaluation of record of service carrying a maximum of 100 marks of candidates:-

(i) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion (for categories I, II, III and VIII); and

(ii) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination and the shorthand test as may be fixed by the Commission in their discretion (for Categories IV, V, VI, VII and IX).

Note 1: Marks obtained in evaluation of record of service (i.e. APARs of the officers available to the Assessment Board at the time of its meeting) will be counted for ranking. Once the APARs have been evaluated by the Assessment Boards, no request for its reassessment will be entertained under any circumstances including a change in APAR grading, etc. at a subsequent date.

Note 2: There shall be a minimum of 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service. Therefore, such candidates who obtain less than 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service will not be considered for ranking.

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of services will be required to take the written examination, will be as follows:--

Paper No.	Subject	Type of Paper	Max. Marks	Duration
1	General Studies & General Knowledge of Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedures in Parliament and Knowledge of RTI Act, 2005.	Objective	150	2 Hrs.
2	Procedure and Practice in the Govt. of India Secretariat and attached offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services.	Objective	150	2 Hrs.
3	Noting and Drafting, Precis writing	Subjective	200	3 Hrs.
	Evaluation of record of Service		100	

Total Marks -

600

3. Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Syllabi for the Examination will be as shown in the schedule.

5. Candidates are allowed the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper either in Hindi (Devanagari) or in English. All the three question papers/test booklets will be set both in Hindi and English.

Note 1: Candidates desirous of exercising the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in relevant column of on-line Application Form; otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 2: Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Note 3: If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

6. The shorthand test in English/Hindi would comprise dictation test at the speed of 100 words per minute of ten minutes which the candidate will be required to transcribe in 40/55 minutes.

7. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

8. Appearance of candidates in all the three papers is a must for qualifying in the examination. The **Commission** has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subject will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the subjective paper.

12. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering Paper - III.

SCHEDULE**Syllabi for examination**

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED, CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UP TO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

PAPER – I

The paper will cover subjects of interest and importance in the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad salient features of the Five Year Plans, Indian Economy and major Developmental Schemes as also intelligence awareness of current affairs both national and international.

A broad knowledge of the following aspects will also be expected:

- (i) The principles of the Constitution of India
- (ii) Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and Rajya Sabha
- (iii) The organization of the machinery of the Govt. of India, Designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached & Subordinate Offices and their relation inter se.
- (iv) RTI Act, 2005.

PAPER - II

This paper is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Detailed knowledge of General Financial and Service Rules viz., Conduct Rules, Leave Rules, TA Rules etc. will be tested. A list of Reference Books (which are however not exhaustive) are recommended -

(for Category I, IV, VIII & IX)

1. Manual of office procedure (latest edition)
2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs. (for Category I & IV only)
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. Central Civil Service (Leave) Rules.
9. Compilation of the General Financial Rules, (Revised and Enlarged).
10. Delegation of Financial Power Rules.
11. Intelligence Bureau Standing Orders (for Category VIII only).

(for Category II & V)

1. Manual of office procedure (latest edition).
2. Notes on office procedure issued by the I.S.T.M.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.

6. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
7. Compilation of the General Financial Rules (Revised and enlarged).
8. Delegation of Financial Power Rules.
9. Indian Foreign Service (PLCA) Rules.
10. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.
11. Assisted Medical Attendance Schemes.
12. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) rules.

(for Category III & VII)

1. Manual of Office Procedure issued by the Min. of Railways (Railway Board).
2. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.
3. Indian Railway Admn. and Finance (excluding Chapters V, VI, VIII & IX).
4. Indian Railway Financial Code Vol. I (excluding Chapter II and VI).
5. Indian Railway Establishment Code Vol. I.
6. The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.
7. The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1968.

(for Category VI)

1. Manual of office procedure (latest edition).
2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs.
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. Central Civil Service (Leave) Rules.
9. Financial Regulations Part I (Revised Edition).

PAPER – III

Candidates are required to prepare notes and drafts on specific problems and précis from a passage.